[2020] 1 उम. नि. प. 212

प्रमोद सूर्यभान पवार

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 1165]

21 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 375 [सपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3] – बलात्संग – सम्मति – अभियुक्त और शिकायतकर्ता स्त्री के बीच लंबे समय से प्रेम-संबंध होना – अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने का वचन देकर मैथुन के लिए सम्मति प्राप्त करना – अभियुक्त और शिकायतकर्ता द्वारा लगभग आठ वर्षों तक अनेक अवसरों पर शारीरिक संबंध स्थापित करना – अभियुक्त द्वारा विवाह करने का वचन पूरा न करने पर शिकायतकर्ता – स्त्री द्वारा बलात्संग का अभिकथन करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – बलात्संग के अपराध का गठन – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह उपदर्शित होता हो कि अभियुक्त-अपीलार्थी और शिकायतकर्ता-स्त्री के बीच आरंभ से ही घनिष्ठ संबंध थे और अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने का वचन देकर लैंगिक संबंध बनाने के लिए प्राप्त की गई सम्मति आरंभ से ही मिथ्या, तथ्य के भ्रम के अधीन और असद्भाविक नहीं थी अपितु अभियुक्त अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्त्री के साथ विवाह करने के वचन को पूर्ण करने में असफल रहा हो, वहां बलात्संग के अपराध का गठन नहीं होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करना न्यायोचित होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी के विरुद्ध यह अभिकथन करते हुए एक शिकायत दर्ज की कि वह और अपीलार्थी

वर्ष 1998 से एक-दूसरे को जानते थे । वह वर्ष 2004 से अपीलार्थी से फोन पर बात करती थी और नियमित रूप से उससे मिलती थी । अपीलार्थी ने वर्ष 2008 में विवाह के लिए प्रस्थापना की और उसे आश्वस्त किया कि उनके अलग-अलग जाति का होने की बात अड़चन नहीं बनेगी । अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से अपनी बड़ी बहिन के विवाह के पश्चात् शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने का वचन दिया । शिकायतकर्ता ने वर्ष 2002 में कृषि विज्ञान में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और कनिष्ठ अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करने लगी । वर्ष 2007 में वह चालीसगांव में नायब तहसीलदार के रूप में चयनित हुई । मार्च, 2009 में मज़गांव में सहायक विक्रय कर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया । अपीलार्थी नवम्बर, 2009 में उससे मिलने आया और उसके साथ रहा । शिकायतकर्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी के इस दौरे के दौरान उसने अपीलार्थी के साथ मैथुन करने से इनकार कर दिया, किंतु "विवाह करने के वचन पर उसने बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए"; अपीलार्थी वर्ष 2010 के दौरान अनेक अवसरों पर उसके पास आया और उन्होंने मैथुन किया । इन मुलाकातों के दौरान शिकायतकर्ता ने विवाह के बारे में पूछताछ की और अपीलार्थी ने सकारात्मक जवाब दिया । अपीलार्थी की बड़ी बहिन का तारीख 5 फरवरी, 2012 को विवाह हो गया था । अपीलार्थी 23 दिसंबर 2012 को उसके पास आया और उसे मैथुन करने के लिए बाध्य किया । इसके पश्चात् अपीलार्थी ने पहली बार उससे विवाह करने के बारे में इस आधार पर चिंता व्यक्त की कि उनके अलग-अलग जाति का होने के कारण यह बात अपीलार्थी की छोटी बहिन के विवाह में अड़चन पैदा करेगी । जनवरी, 2013 में शिकायतकर्ता नागपुर में अपीलार्थी के पास गई और अपीलार्थी भी उसके पश्चात् उसके पास आया । दोनों ही अवसरों पर उन्होंने मैथुन किया । वर्ष 2013-14 में शिकायतकर्ता और अपीलार्थी कई बार यह जांच करवाने के लिए अस्पताल गए कि वह गर्भवती तो नहीं है । जून, 2013 में अपीलार्थी नवी मुम्बई में तैनात था और अपना सप्ताहान्त शिकायतकर्ता के मकान पर रहकर बिताता था । वे इस अवधि के दौरान नियमित रूप से मैथुन में लिप्त होते थे । जनवरी, 2014 की शुरूआत में अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने के बारे में उसकी जाति के आधार पर चिंता व्यक्त की । इसको लेकर

गर्मागर्म बहस हुई । तथापि, अपीलार्थी मार्च, 2015 तक नियमित रूप से पांवेल स्थित उसके मकान पर आता रहा और प्रत्येक बार उसके साथ मैथुन किया ; तारीख 27 और 28 अगस्त, 2015 और 22 अक्तूबर, 2015 को अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को कई सारे व्हाट्सऐप संदेश भेजे । नवंबर, 2015 में पहली बार शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस में शिकायत फाइल करने की धमकी दी । अपीलार्थी ने अपने छोटे भाई के विवाह के पश्चात् उससे विवाह करने का वचन दिया ; और तारीख 9 मार्च, 2016 को अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध मैथुन किया । इसके पश्चात्, शिकायतकर्ता को इस बात का पता चला कि अपीलार्थी की एक अन्य स्त्री के साथ सगाई हो गई है । तत्पश्चात्, शिकायतकर्ता को यह पता चला कि अपीलार्थी का तारीख 1 मई, 2016 को विवाह हो गया है । तारीख 17 मई, 2016 को उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की । अपीलार्थी ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया । तारीख 13 जनवरी, 2016 के आदेश द्वारा उसे अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई । अपीलार्थी ने 2016 के दांडिक आवेदन सं. 813 में तारीख 17 मई, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 की बाबत किसी स्त्री की "सम्मति" में प्रस्थापित कृत्य के प्रति सक्रिय और सकारण विचार-विमर्श अंतर्वलित होना चाहिए । यह सिद्ध करने के लिए कि क्या "सम्मति" विवाह करने के वचन से उद्भूत "तथ्य के भ्रम" द्वारा दूषित थी या नहीं, दोनों प्रतिपादनाओं को अवश्य सिद्ध किया जाना चाहिए । विवाह करने का वचन अवश्य एक मिथ्या वचन होना चाहिए जो असद्भाव और जिस समय यह वचन दिया गया था, उसी समय इसको पूरा न करने के आशय के साथ दिया गया होना चाहिए । मिथ्या वचन की लैंगिक कृत्य में लिप्त होने के स्त्री के विनिश्चय से अव्यवहित सुसंगतता होनी चाहिए या प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए । प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से यह उपदर्शित होता है कि शिकायतकर्ता ने नवंबर, 2009 में आरंभ में तो अभियुक्त के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया था, किंतु विवाह करने के वचन पर अभियुक्त ने लैंगिक संबंध स्थापित किए । तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कई अन्य अभिकथनों का भी उल्लेख है जो वर्तमान प्रयोजन के लिए सुसंगत हैं । वे अभिकथन निम्न प्रकार से हैं – (i) शिकायतकर्ता और अपीलार्थी एक-दूसरे को वर्ष 1988 से जानते थे और वर्ष 2004 से घनिष्ट मित्र थे । (ii) शिकायतकर्ता और अपीलार्थी नियमित रूप से मिलते थे, एक-दूसरे से मिलने के लिए लंबी दूरी की यात्राएं करते थे, बहुत बार एक-दूसरे के मकानों में रहते थे, पांच वर्षों तक नियमित रूप से मैथुन में लिप्त रहे और बहुत बार संयुक्त रूप से यह जांच कराने के लिए अस्पताल गए कि शिकायतकर्ता गर्भवती तो नहीं है ; और (iii) अपीलार्थी ने 31 जनवरी, 2014 को शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने के बारे में अपनी मजबूरी व्यक्त की । इसके बावजूद, अपीलार्थी और शिकायतकर्ता ने मार्च, 2015 तक मैथुन में लिप्त रहना जारी रखा । अपीलार्थी सी.आर.पी.एफ. में कमांडेंट है जबकि शिकायतकर्ता सहायक विक्रय कर आयुक्त है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों को देखने से यह उपदर्शित नहीं होता है कि अपीलार्थी द्वारा दिया गया वचन मिथ्या था, या शिकायतकर्ता के इस वचन के आधार पर लैंगिक संबंध बनाए थे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि जब अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से विवाह करने का वचन दिया था, तब यह असद्भावपूर्वक या उसके साथ धोखा करने के आशय से दिया गया था । अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2008 में दिए गए अपने वचन को वर्ष 2016 में पूर्ण करने में असफल रहने का यह अर्थ नहीं लाया जा सकता है कि वचन ही मिथ्या था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से यह उपदर्शित होता है कि शिकायतकर्ता को वर्ष 2008 से यह ज्ञात था कि अपीलार्थी से विवाह करने में बाधाएं आ रही हैं और उसने और अपीलार्थी ने उनके विवाह करने का मामला एक विवादित मामला बन जाने के पश्चात् भी लंबे समय तक लैंगिक संबंध बनाना जारी रखा । इसके पश्चात् भी, शिकायतकर्ता अपीलार्थी की तैनाती के स्थानों पर यात्रा करके गई और उसके साथ रही और अपीलार्थी को अपने सप्ताहांत अपने निवास पर

बिताने के लिए अनुज्ञात किया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से यह पक्षकथन झूठा साबित होता है कि अपीलार्थी द्वारा विवाह का वचन देकर उसे धोखा दिया गया था । अत: यदि शिकायतकर्ता के कथनों में उपवर्णित तथ्यों को समग्र रूप में स्वीकार भी किया जाता है, तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन कोई अपराध घटित नहीं हुआ था । (पैरा 18, 19 और 20)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की बाबत अपराधों के संबंध में यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा तारीख 27 और 28 अगस्त, 2015 और 22 अक्तूबर, 2015 को शिकायतकर्ता को व्हाट्सऐप संदेश भेजे गए थे । इस समय पर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) (प), (ब) और धारा 3(2) (vii), जैसी कि वे आज हैं, कानून में अधिनियमित नहीं की गई थीं । ये उपबंध संशोधन अधिनियम, 2015 (अत्याचार निवारण) द्वारा अंत:स्थापित किए गए थे जो कि तारीख 26 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुआ था । अपीलार्थी द्वारा भेजे गए व्हाट्सऐप संदेशों और अभिकथित रूप से कहे गए शब्दों की अंतर्वस्तु का विस्तृत विश्लेषण किए बिना, यह स्पष्ट है कि ऊपर उपवर्णित अपराधों में से कोई अपराध नहीं बनता है । संदेश जनता को दृष्टिगोचर नहीं थे, कोई हमला नहीं हुआ था, न ही अपीलार्थी ऐसी स्थिति में था, जिससे वह शिकायतकर्ता की इच्छा को अधिशासित कर सके । अत: यदि शिकायतकर्ता द्वारा व्हाट्सऐप संदेशों और कहे गए शब्दों की बाबत शिकायतकर्ता द्वारा उपवर्णित अभिकथनों को उनके प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार भी किया जाता है, तो भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम (जैसा वह उस समय था) के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है । इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों को देखने से अभिकथित अपराधों का किया जाना सिद्ध नहीं होता है । (पैरा 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 3100 : **ध्रुवराम मुरलीधर सोनार** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	8

[2013]	(2013) 7 एस. सी. सी. 675 : **दीपक गुलाटी** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	14
[2013]	(2013) 9 एस. सी. सी. 113 : **कैनी राजन** बनाम **केरल राज्य** ;	12
[2009]	(2009) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 509 : **अनुराग सोनी** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ;	14
[2007]	(2007) 12 एस. सी. सी. 1 : **इन्द्र मोहन गोस्वामी** बनाम **उत्तरांचल राज्य** ;	7
[2006]	(2006) 11 एस. सी. सी. 615 : **येदला श्रीनिवास राव** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य** ;	15
[2003]	(2003) 4 एस. सी. सी. 46 : **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	17
[1992]	(1992) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 335 : **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल** ।	8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 1165.

2016 के दांडिक आवेदन सं. 813 में बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 7 फरवरी, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री सुशील करंजकर और के. एन. राय
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री निशांत रमाकांत राव कटनेश्वरकर, अनूप कांदरी, निलेश त्रिभवन, आनंद दिलिप लांडजे और (सुश्री) निधि चड्ढा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने दिया ।

न्या. (डा.) चंद्रचूड़ – इजाजत दी गई ।

2. बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 7 फरवरी, 2019 के निर्णय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में दंड प्रक्रिया संहिता)

की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को खारिज कर दिया था । अपीलार्थी ने पांवेल सिटी पुलिस थाने में तारीख 17 मई, 2016 को उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 417, 504 और 506 (2) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 (संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 3(1) (प) और 3(2) (vii) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने की ईप्सा की थी । द्वितीय प्रत्यर्थी शिकायतकर्ता है ।

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों का सारांश इस प्रकार है :–

"(i) शिकायतकर्ता के अनुसार, वह और अपीलार्थी वर्ष 1998 से एक-दूसरे को जानते थे । वह वर्ष 2004 से अपीलार्थी से फोन पर बात करती थी और नियमित रूप से उससे मिलती थी । अपीलार्थी ने वर्ष 2008 में विवाह के लिए प्रस्थापना की और उसे आश्वस्त किया कि उनके अलग-अलग जाति का होने की बात अड़चन नहीं बनेगी । अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से अपनी बड़ी बहिन के विवाह के पश्चात् शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने का वचन दिया । अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से तारीख 23 जनवरी, 2009 को चालीसगांव के पटनादेवी मंदिर में उससे विवाह करने के अपने वचन को दोहराया था ;

(ii) शिकायतकर्ता ने वर्ष 2002 में कृषि विज्ञान में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और कनिष्ठ अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करने लगी । वर्ष 2007 में वह चालीसगांव में नायब तहसीलदार के रूप में चयनित हुई । मार्च, 2009 में उसे मज़गांव में सहायक विक्रय कर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया । यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी नवम्बर, 2009 में उससे मिलने आया और उसके साथ रहा । शिकायतकर्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी के इस दौरे के दौरान उसने अपीलार्थी के साथ मैथुन करने से इनकार कर दिया, किंतु "विवाह करने के वचन पर उसने बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए";

(iii) शिकायतकर्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्ष

2010 के दौरान अनेक अवसरों पर उसके पास आया और उन्होंने मैथुन किया । जब अपीलार्थी गढ़चिरौली में तैनात था, शिकायतकर्ता वर्ष 2011 के दौरान अनेक बार अपीलार्थी के पास गई । इन प्रत्येक मुलाकातों में, जिनके दौरान वह चार से पांच दिन अपीलार्थी के साथ रही और उन्होंने मैथुन किया । इन मुलाकातों के दौरान शिकायतकर्ता ने विवाह के बारे में पूछताछ की और अपीलार्थी ने सकारात्मक जवाब दिया । दिसंबर, 2011 में अपीलार्थी उसके पास आया और चार दिन तक उसके मकान में रहा ;

(iv) अपीलार्थी की बड़ी बहिन का तारीख 5 फरवरी, 2012 को विवाह हो गया था । अपीलार्थी 23 दिसंबर, 2012 को उसके पास आया और उसे मैथुन करने के लिए बाध्य किया । इसके पश्चात् अपीलार्थी ने पहली बार उससे विवाह करने के बारे में इस आधार पर चिंता व्यक्त की कि उनके अलग-अलग जाति का होने के कारण यह बात अपीलार्थी की छोटी बहिन के विवाह में अड़चन पैदा करेगी । जनवरी, 2013 में शिकायतकर्ता नागपुर में अपीलार्थी के पास गई और अपीलार्थी भी उसके पश्चात् उसके पास आया । दोनों ही अवसरों पर उन्होंने मैथुन किया ।

(v) इन वर्षों के दौरान अनेक अवसरों पर उसका ऋतुस्राव बंद हुआ । वर्ष 2013-14 में शिकायतकर्ता और अपीलार्थी कई बार यह जांच करवाने के लिए अस्पताल गए कि वह गर्भवती तो नहीं है । जून, 2013 में अपीलार्थी नवी मुम्बई में तैनात था और अपना सप्ताहान्त शिकायतकर्ता के मकान पर रहकर बिताता था । वे इस अवधि के दौरान नियमित रूप से मैथुन में लिप्त होते थे । जनवरी, 2014 की शुरूआत में अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने के बारे में उसकी जाति के आधार पर चिंता व्यक्त की । इसको लेकर गर्मागर्म बहस हुई । तथापि, अपीलार्थी मार्च, 2015 तक नियमित रूप से पांवेल स्थित उसके मकान पर आता रहा और प्रत्येक बार उसके साथ मैथुन किया ;

(vi) तारीख 27 और 28 अगस्त, 2015 और 22 अक्तूबर, 2015 को अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को कई सारे व्हाट्सऐप संदेश

भेजे । शिकायतकर्ता का यह अभिकथन है कि ये संदेश अपमानजनक थे और उस पर उसकी जाति को लेकर तानाकसी की गई थी । इन संदेशों में यह कहा गया :

"तुम समाज पर कलंक हो । यदि जूते को सिर पर रखा जाता है तो सिर गंदा हो जाएगा । आरक्षण से कोई बुद्धिमत्ता नहीं आ जाती है । तुमको आसानी से सरकारी नौकरी मिल गई है"।

(vii) नवंबर, 2015 में पहली बार शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस में शिकायत फाइल करने की धमकी दी । अपीलार्थी ने अपने छोटे भाई के विवाह के पश्चात् उससे विवाह करने का वचन दिया ; और

(viii) तारीख 9 मार्च, 2016 को अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध मैथुन किया । इसके पश्चात्, शिकायतकर्ता को इस बात का पता चला कि अपीलार्थी की एक अन्य स्त्री के साथ सगाई हो गई है । अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को बताया कि वह स्त्री, जिसके साथ उसकी सगाई हुई है, सगाई तोड़ने के लिए दो लाख रुपए मांग रही है । तारीख 28 मार्च, 2016 को अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने के अपने वचन को दोहराया और उसकी खातिर शिकायतकर्ता को यह आश्वस्त करने के लिए कि अपीलार्थी के उस स्त्री के साथ अब कोई संबंध नहीं है, जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी और उस स्त्री से बात करने की व्यवस्था करने का वचन दिया । तत्पश्चात्, शिकायतकर्ता को यह पता चला कि अपीलार्थी का तारीख 1 मई, 2016 को विवाह हो गया है । तारीख 17 मई, 2016 को उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की ।"

4. अपीलार्थी ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया । तारीख 13 जनवरी, 2016 के आदेश द्वारा उसे अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई । मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 1 जुलाई, 2016 के आदेश द्वारा तारीख 13 जून, 2016 के आदेश की पुष्टि की गई ।

5. अपीलार्थी ने 2016 के दांडिक आवेदन सं. 813 में तारीख 17 मई, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 7 फरवरी, 2019 के आदेश द्वारा यह टिप्पणी करते हुए आवेदन को नामंजूर कर दिया :–

> "3. यद्यपि संबंध सहमति से थे, तो भी यह प्रतीत होता है कि विवाह करने का वचन दिया गया था और कथन से यह दर्शित होता है कि बाद में शिकायतकर्ता की जाति का कारण देकर वचन पूरा नहीं किया गया ।
>
> 4. इस प्रथमदृष्ट्या स्थिति को देखते हुए, हम असाधारण अधिकारिता में दखल देने के लिए तैयार नहीं हैं । हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी मताभिव्यक्तियां केवल असाधारण अधिकारिता में शिकायत को ग्रहण करने से इनकार करने के प्रयोजनों के लिए हैं और हमने दलीलों पर किसी प्रकार से कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है ।"

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सुशील करंजकर ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित करने से इनकार करके बलात्संग और सहमतिजन्य मैथुन के बीच विभेद करने में असफल रहा । यह दलील दी गई कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को देखते ही अभिकथनों से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच शारीरिक संबंध उसकी सम्मति से छह वर्ष से अधिक समय से थे, जैसा कि सहवास की बहुविधि अवधियों, मुलाकातों और शिकायतकर्ता द्वारा विरोध या शिकायत न करने से दर्शित होता है । इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री कटनेश्वरकर तथा शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री निलेश त्रिभवन ने इस न्यायालय के कतिपय विनिश्चयों का अवलंब लिया । शिकायतकर्ता ने अपने प्रति-शपथपत्र में यह निवेदन किया है :–

> "(i) यह निवेदन है कि याची ने मेरे साथ संबंध केवल अपनी हवस पूरी करने के लिए बनाए थे।
>
> (ii) यह निवेदन है कि याची ने मेरे साथ विवाह करने का वचन दिया और इसके पश्चात् अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझसे भावनात्मक और मानसिक रूप से छलसाधन किया,

यहां तक कि जब उसे भलीभांति ज्ञात था कि उसके ऐसे कृत्यों से मुझे अत्यधिक शारीरिक और मानसिक कष्ट कारित हुआ है ।

(iii) यह निवेदन है कि याची ने मुझ से विवाह करने का वचन केवल इसलिए दिया था जिससे कि वह शारीरिक संबंध कायम रख सके और एक से अधिक स्त्रियों को ढूंढ़ने और उनमें से हर एक के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की उलझन का सामना नहीं करना पड़े क्योंकि उसकी नौकरी स्थानांतरणीय प्रकृति की थी और अपने कामुक व्यवहार की पूर्ति के लिए अलग-अलग स्त्रियों से मिलना-जुलना संभव नहीं था ।

(iv) यह निवेदन है कि याची की आरंभ से ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में बुरी और गलत धारणा थी और उसने संबंध रहने के दौरान ऐसी धारणा न होने का बहाना किया और इस बारे में झूठ बोला किंतु जब उस पर दबाव डाला गया और किनारे कर दिया गया तो वह अपनी बात पर कायम नहीं रह सका ।"

विद्वान् काउंसेल ने सुनवाई के अनुक्रम के दौरान उन दलीलों को निर्दिष्ट किया जो प्रति-शपथपत्र में उपवर्णित की गई हैं ।

7. धारा 482 एक अध्यारोही उपबंध है जिसमें न्याय के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को व्यावृत्त किया गया है । धारा 482 के अधीन न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग (i) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए ; (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए ; और (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है । धारा 482 के अधीन न्यायालय की शक्तियां व्यापक हैं और न्यायालय में यह विनिश्चय करने का पर्याप्त मात्रा में विवेकाधिकार निहित है कि उन शक्तियों का प्रयोग करना है या नहीं । न्यायालय को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने में सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इससे अभियोजन पक्ष अन्वेषण और साक्ष्य के माध्यम से अपना पक्षकथन सिद्ध करने के अवसर से वंचित हो

जाता है । इस न्यायालय द्वारा इन सिद्धांतों का सतत् रूप से अनुसरण किया गया है और दोहराया गया है । **इन्द्र मोहन गोस्वामी** बनाम **उत्तरांचल राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

> "23. इस न्यायालय ने अनेक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन न्यायालय की शक्तियों की व्याप्ति और परिधि को अधिकथित किया है । प्रत्येक उच्च न्यायालय को वास्तविक और सारभूत न्याय करने के लिए, या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए अधिकारत: अंतर्निहित शक्तियां हैं, जिसके प्रशासन के लिए ही ये विद्यमान हैं । धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग –
>
> (i) संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए ;
>
> (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए ; और
>
> (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है ।
>
> 24. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियां यद्यपि व्यापक हैं, तो भी इनका प्रयोग यदा-कदा, सावधानीपूर्वक और अत्यधिक सतर्कता से और केवल तब किया जाना चाहिए, जब स्वयं इस धारा में विनिर्दिष्ट रूप से अधिकथित कसौटियों द्वारा ऐसा प्रयोग किया जाना न्यायोचित हो । न्यायालय का प्राधिकार न्याय को अग्रसर करने के लिए विद्यमान है । यदि प्रक्रिया के किसी ऐसे दुरुपयोग को न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है, जिससे अन्याय हुआ है, तब कानून में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अभाव में न्यायालय के लिए अंतर्निहित शक्तियों का अवलंब लेकर अन्याय को निवारित करना न्यायोचित होगा ।"

8. मामलों की भिन्न-भिन्न प्रकृति को देखते हुए, जो उच्च

[1] (2007) 12 एस. सी. सी. 1.

न्यायालयों के समक्ष आते हैं, इस बारे में कोई कठोर मानदंड तय करना कि कब न्यायालयों की असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, संभवतः भावी अन्यायों की दृष्टि से न्यायालयों के हाथ बांधना होगा । **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने उन स्थितियों का विस्तार से अध्ययन किया है, जहां न्यायालय अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है और दृष्टांत स्वरूप उदाहरणों की एक सूची अधिकथित की है, जहां अभिखंडन समुचित हो सकेगा । इन सभी उदाहरणों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है, किंतु कुछएक वर्तमान मामले के लिए सुसंगत हैं । **भजन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि अभिखंडन वहां समुचित हो सकेगा :–

> "102. (1) जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या शिकायत में किए गए अभिकथनों से, यदि उन्हें उनके प्रत्यक्ष स्वरूप में देखा जाए और समग्र रूप में स्वीकार किया जाए, अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या कोई अपराध गठित नहीं होता है या कोई मामला नहीं बनता है ।
>
> (2) जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई है, से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है जिसमें पुलिस द्वारा संहिता की धारा 156 (1) के अधीन अन्वेषण, धारा 155 (2) की परिधि के भीतर आने वाले मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के अधीन अन्वेषण को छोड़कर, करना न्यायोचित न हो ।
>
> * * * *
>
> (7) जहां कोई दांडिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से असद्भावी है और/या जहां कार्यवाही विद्वेषपूर्ण रूप से अंतरस्थ हेतु के साथ अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के लिए और प्राइवेट तथा व्यक्तिगत वैमनस्य की दृष्टि से उसे तंग करने के लिए है ।"

यह विनिश्चय करने के लिए कि धारा 482 के अधीन अपनी अधिकारिता

---

[1] (1992) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 335.

का प्रयोग किया जाए या नहीं ; न्यायालय अभिकथित तथ्यों की सत्यता का न्यायनिर्णयन या परस्पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करता है । सीमित प्रश्न यह होता है कि क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों को देखने से किसी संज्ञेय अपराध का गठन होता है या नहीं । **ध्रुवराम मुरलीधर सोनार** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] (संक्षेप में "ध्रुवराम सोनार" वाला मामला) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा ऐसा उल्लेख किया गया है :–

> "13. यह स्पष्ट है कि कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के तथ्य का अति सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना अपेक्षित नहीं है । अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन करना भी अनुज्ञेय नहीं है । यदि परिवाद में उपवर्णित अभिकथनों से उस अपराध का गठन नहीं होता है, जिसका संज्ञान लिया गया है, तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे अभिखंडित करने के लिए स्वतंत्र है ।"

9. वर्तमान कार्यवाहियों का संबंध अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 417, 504 और 506 (2) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) (प), (ब) और 3(2) (vii) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से है । भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में बलात्संग जो कि धारा 375 में उपवर्णित है, के अपराध के लिए दंड विहित किया गया है । धारा 375 में सात प्रकार विहित किए गए हैं कि बलात्संग का अपराध कैसे कारित किया जा सकेगा । वर्तमान प्रयोजनों के लिए केवल द्वितीय प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के साथ-साथ, सुसंगत है और इसे नीचे उपवर्णित किया जाता है :–

> "375. बलात्संग – जो पुरुष –
>
> * * * *
>
> निम्नलिखित सात प्रकार की परिस्थितियों में से किसी

[1] (2018) एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 3100.

परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष "बलात्संग" करता है, यह कहा जाता है –

प्रथम..........

द्वितीय – उस स्त्री की सम्मति के बिना ।

स्पष्टीकरण 2 – सम्मति से वह सुस्पष्ट स्वेच्छा सहमति अभिप्रेत है जब स्त्री शब्दों, संकेतों या मौखिक या अमौखिक संसूचना के किसी रूप द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में सहभागीदार होने के लिए रजामंदी संसूचित करती है :

परंतु कोई स्त्री, जो प्रवेशन के कृत्य का शारीरिक रूप से विरोध नहीं करती है, केवल उस बात के कारण लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सम्मति देने वाली नहीं समझी जाएगी ।"

"90. सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है – कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन, या तथ्य के के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के अधीन दी है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी; अथवा ; .... ।"

10. जहां किसी स्त्री ने धारा 375 के मुख्य भाग में वर्णित लैंगिक कृत्यों के लिए "सम्मति" नहीं दी है, वहां बलात्संग का अपराध हुआ है । जबकि धारा 90 में "सम्मति" पद को परिभाषित नहीं किया गया है, तथ्य के भ्रम पर आधारित कोई "सम्मति" विधि की दृष्टि से सम्मति नहीं है ।

11. शिकायतकर्ता द्वारा दी गई प्रथम दलील यह है कि अपीलार्थी ने उससे विवाह करने के मिथ्या वचन के आधार पर उसके साथ लैंगिक संबंध बनाए और इसलिए उसकी "सम्मति" एक "तथ्य के भ्रम" (विवाह के वचन) पर आधारित होने के कारण दूषित हो जाती है ।

12. इस न्यायालय ने बारम्बार यह अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की बाबत सम्मति में प्रस्थापित कृत्य की परिस्थितियों, कार्यों और परिणामों की सक्रिय समझ अंतर्वलित है । कोई व्यक्ति जो विभिन्न आनुकल्पिक क्रियाओं (या अक्रिया) तथा उस क्रिया या अक्रिया से होने वाले संभव परिणामों का मूल्यांकन करने के पश्चात् कार्य करने के लिए सकारण एक विकल्प का चयन करता है तो वह ऐसी क्रिया के लिए सम्मति देता है । **ध्रुवराम सोनार** (उपर्युक्त) वाले मामले में, जो कि एक ऐसा मामला था, जिसमें धारा 482 के अधीन अधिकारिता का अवलंब लेना अंतर्वलित था, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :-

> "15 .... सम्मति के बारे में निष्कर्ष केवल तब निकाला जा सकता है यदि वह मामले के साक्ष्य या अधिसंभाव्यताओं पर आधारित है । "सम्मति" विचार-विमर्श करके किसी कारण से किया गया कृत्य भी कहा जाता है । यह किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में उस कृत्य को करने की अनुज्ञा देने की सक्रिय इच्छा का द्योतक है जिस कृत्य की शिकायत की गई है ।"

कैनी राजन बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय में भी इसी समझ पर जोर दिया गया है :-

> "12. .... धारा 375 के प्रयोजन के लिए "सम्मति" में न केवल कृत्य की नैतिक गुणवत्ता के महत्व की जानकारी पर आधारित बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के पश्चात् स्वेच्छया सह-भागीदारी होनी अपेक्षित है, अपितु विरोध और सहमति के बीच विकल्प का पूरी तरह प्रयोग करने के पश्चात् स्वेच्छया सह-भागीदारी होनी चाहिए । सम्मति दी गई थी या नहीं, इसका अभिनिश्चय केवल सभी सुसंगत परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् किया जाना चाहिए ।"

13. सम्मति की यह समझ-बूझ धारा 375 के स्पष्टीकरण 2 (जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है) में भी उपवर्णित की गई है । अनुसूचित

---

[1] (2013) 9 एस. सी. सी. 113.

जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(ब) में भी सम्मति की इसी धारणा को सम्मिलित किया गया है :–

"धारा 3(1)(ब)

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है, साशय छूता है और जब छूने का ऐसा कृत्य लैंगिक प्रकृति का है और ऐसी महिला की सम्मति के बिना है;

*　　*　　*　　*

स्पष्टीकरण – उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "सम्मति" अभिव्यक्ति से वह सुस्पष्ट स्वेच्छया सहमति अभिप्रेत है जब व्यक्ति शब्दों, संकेतों या मौखिक या अमौखिक संसूचना के किसी रूप द्वारा विनिर्दिष्ट कृत्य में सहभागीदार होने के लिए रजामंदी संसूचित करता है :

परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई महिला जो किसी लैंगिक प्रकृति के किसी कृत्य का शारीरिक विरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सम्मति देने वाली नहीं समझी जाएगी :

परंतु यह भी कि महिला की लैंगिक पृष्ठभूमि से, जिसमें अपराधी के साथ उसकी पृष्ठभूमि भी है, सम्मति विवक्षित नहीं होगी या अपराध को कम नहीं करेगी ।"

14. प्रस्तुत मामले में, शिकायतकर्ता द्वारा अभिकथित किया गया "तथ्य का भ्रम" अपीलार्थी का उसके साथ विवाह करने का वचन है । विनिर्दिष्ट रूप से विवाह करने का वचन देने के संदर्भ में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि मिथ्या वचन जो वचन देने वाले द्वारा यह जानते हुए दिया जाता है कि इसे तोड़ा जाएगा और ऐसा वचन जो सद्भाविकता में दिया जाता है किंतु बाद में पूर्ण नहीं किया जाता है, के बीच विभेद है । **अनुराग सोनी** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] वाले मामले में

[1] (2009) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 509.

इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

"37. पूर्वोक्त विनिश्चयों का संक्षेप और सार यह होगा कि यदि यह सिद्ध और साबित किया जाता है कि अभियुक्त, जिसने अभियोक्त्री को विवाह करने का वचन दिया था, उसका आरंभ से ही विवाह करने का कोई आशय नहीं था और अभियोक्त्री ने अभियुक्त द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर कि वह उससे विवाह करेगा, मैथुन के लिए सम्मति दी थी, ऐसी सम्मति को भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार तथ्य के भ्रम के आधार पर अभिप्राप्त की गई सम्मति कहा जा सकता है और ऐसे किसी मामले में, ऐसी सम्मति से अपराधी को माफी नहीं मिलेगी और यह कहा जा सकता है कि ऐसे अपराधी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में यथापरिभाषित बलात्संग का अपराध किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है।"

दीपक गुलाटी बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में भी इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकार की मताभिव्यक्तियां की गई थीं :–

"21. किसी वचन का मात्र भंग करने और किसी मिथ्या वचन को पूरा न करने के बीच विभेद है । अत: न्यायालय को अवश्य यह परीक्षा करनी चाहिए कि क्या आरंभिक प्रक्रम पर अभियुक्त द्वारा विवाह करने का मिथ्या वचन दिया गया था.....।"

15. **येदला श्रीनिवास राव** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के साथ जबरदस्ती लैंगिक संबंध बनाए थे । जब उसने अभियुक्त से पूछा कि उसने क्यों उसका जीवन बर्बाद कर दिया, तो उसने उससे विवाह करने का वचन दिया । इस आधार पर, अभियुक्त ने बारंबार शिकायतकर्ता के साथ मैथुन किया । जब शिकायतकर्ता गर्भवती हो गई, तो अभियुक्त ने उसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया । जब मामला पंचायत में लाया गया, तो अभियुक्त

[1] (2013) 7 एस. सी. सी. 675.

[2] (2006) 11 एस. सी. सी. 615.

ने शिकायतकर्ता के साथ मैथुन करने की बात स्वीकार की किंतु बाद में फरार हो गया । इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :-

> "10. यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 1, 2 और 3 के परिसाक्ष्य के अनुसार आरंभ से ही अभियुक्त का आशय ईमानदार नहीं था और उसके गर्भवती हो जाने तक वह यह वचन देता रहा कि वह उससे विवाह करेगा । अभियुक्त द्वारा अभिप्राप्त की गई इस प्रकार की सम्मति को किसी प्रकार की सम्मति नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह इस तथ्य के भ्रम में थी कि अभियुक्त उससे विवाह करना चाहता है, इसीलिए उसने अपने को उसके साथ मैथुन करने के लिए समर्पित किया था । इस तथ्य को अभियुक्त द्वारा भी गांव के बुजुर्गों की पंचायत के समक्ष स्वीकार किया गया है कि उसने मैथुन किया था और यह बात अभि. सा. 1, 2 और 3 के परिसाक्ष्यों से स्पष्ट होती है । यह बात अति स्पष्ट है कि अभियुक्त ने यह मिथ्या वचन दिया था कि वह उससे विवाह करेगा । अत: अभियुक्त का आशय आरंभ से ही सद्भावी नहीं था और गरीब लड़की पूर्ण रूप से अभियुक्त द्वारा दिए गए झांसे में आकर उसकी वासना का शिकार हो गई जो उससे विवाह करने का वचन देता रहा था । वचन पूरा न करने के स्पष्ट आशय के साथ अभियुक्त द्वारा ली गई इस प्रकार की सम्मति और लड़की को यह विश्वास करने के लिए राजी करना कि वह उसके साथ विवाह करेगा और इस पूर्ण भ्रम के अधीन मैथुन करने के लिए अभिप्राप्त की गई उसकी सम्मति को एक सम्मति नहीं समझा जा सकता है.......।"

16. जहां विवाह करने का वचन मिथ्या हो और वचन देने के समय ही वचन देने वाले का आशय इस वचन का पालन करने का न हो अपितु लैंगिक संबंध बनाने के लिए स्त्री को विश्वास में लेकर उसके साथ धोखा करना हो, वहां यह "तथ्य का भ्रम" है जिससे स्त्री की "सम्मति" दूषित हो जाती है । दूसरी ओर, किसी वचन के भंग को मिथ्या वचन नहीं कहा जा सकता है । मिथ्या वचन सिद्ध करने के लिए, वचन देने वाले का वचन देने के समय ही अपने शब्दों पर कायम न

रहने का आशय रहा होना चाहिए । धारा 375 के अधीन स्त्री की "सम्मति" किसी "तथ्य के भ्रम" के आधार पर वहां दूषित हो जाती है, जहां ऐसे भ्रम के आधार पर उसने उक्त कृत्य में सम्मिलित होने का चयन किया था । **दीपक गुलाटी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

"21. .... किसी वचन का मात्र भंग करने और किसी मिथ्या वचन को पूरा न करने के बीच विभेद है । अत: न्यायालय को अवश्य यह परीक्षा करनी चाहिए कि क्या आरंभिक प्रक्रम पर अभियुक्त द्वारा विवाह करने का मिथ्या वचन दिया गया था; और क्या जो सम्मति दी गई थी वह लैंगिक संबंधों में लिप्त होने की प्रकृति और परिणामों को पूर्णत: समझ लेने के पश्चात् दी गई थी । ऐसा मामला हो सकता है जहां अभियोक्त्री अभियुक्त के प्रति प्यार और अनुराग के कारण मैथुन करने के लिए सहमत हुई हो, न कि केवल अभियुक्त द्वारा उससे किए गए दुर्व्यपदेशन के कारण; या जहां कोई अभियुक्त उन परिस्थितियों के कारण जिनकी उसने पूर्व कल्पना नहीं की थी, या जो उसके नियंत्रण के परे थीं, उसके साथ विवाह करने के पूर्ण आशय के बावजूद उससे विवाह करने में असमर्थ था । ऐसे मामलों को अवश्य भिन्न प्रकार से समझा जाना चाहिए।

*   *   *   *

24. अत: यह स्पष्ट है कि यह दर्शित करने के लिए अवश्य पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए कि सुसंगत समय पर अर्थात् आरंभिक प्रक्रम पर ही अभियुक्त का विपदग्रस्त के साथ विवाह करने के वचन को पूरा करने का कोई भी आशय नहीं था । नि:संदेह, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जब कोई व्यक्ति सर्वोत्तम से सर्वोत्तम आशय होते हुए, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विपदग्रस्त से विवाह करने में असमर्थ हो जाता है । भविष्य की किसी अनिश्चित तारीख की बाबत दिए गए वचन को उन कारणों की वजह से, जो उपलब्ध साक्ष्य से बहुत स्पष्ट नहीं हैं, पूरा करने में असफल रहना सदैव तथ्य के भ्रम की कोटि में नहीं आता है । 'तथ्य के भ्रम' पद

के अर्थांतर्गत आने के लिए, तथ्य से अवश्य अव्यवहित सुसंगतता होनी चाहिए । ऐसी स्थिति में किसी लड़की के कृत्य को पूर्णतया माफ करने और दूसरे व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व डालने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 90 की तब तक सहायता नहीं ली जा सकती है जब तक कि न्यायालय इस तथ्य से आश्वस्त नहीं हो जाता है कि अभियुक्त का आरंभ से ही उसके साथ विवाह करने का वस्तुतः कदापि आशय नहीं रहा था ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

17. **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में शिकायतकर्ता उस समय महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा थी, जब अभियुक्त ने उसके साथ विवाह करने का वचन दिया था । शिकायतकर्ता ने अपने कथन में यह स्वीकार किया कि उसे यह पता था कि प्रस्तावित विवाह के लिए शिकायतकर्ता और अभियुक्त दोनों के परिवारों का पर्याप्त विरोध होगा । वह अभियुक्त के साथ मैथुन में लिप्त हुई किंतु फिर भी उसने अपने परिवार से इस संबंध को गुप्त रखा । इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इन परिस्थितियों में अभियुक्त के शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने के वचन की शिकायतकर्ता के अभियुक्त के साथ मैथुन में लिप्त होने के विनिश्चय से अव्यवहित सुसंगतता नहीं थी और वह वचन अन्य बातों से प्रेरित था :–

"25. एक अन्य कठिनाई और है, जिसका अभियोजन पक्ष को इस मामले में सामना करना होगा । इस प्रकृति के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 90 को लागू करने के लिए अवश्य दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए । प्रथम, अवश्य यह दर्शित किया जाना चाहिए कि सम्मति किसी तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई थी । द्वितीय, यह अवश्य साबित किया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने सम्मति अभिप्राप्त की थी उसे ज्ञात था, या यह विश्वास करने का कारण था कि सम्मति ऐसे भ्रम के परिणामस्वरूप दी गई थी । हमें इस बारे में गंभीर संदेह है कि विवाह करने के वचन से

[1] (2003) 4 एस. सी. सी. 46.

> अभियोक्त्री अपीलार्थी के साथ मैथुन करने की सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित हुई थी । जैसा कि हमने पहले मत व्यक्त किया है, वह जानती थी कि जातिगत बातों के कारण अपीलार्थी के साथ उसका विवाह होना मुश्किल है । इस प्रस्ताव का दोनों परिवारों की ओर से कड़ा विरोध होना लाजिमी था । इसलिए एक सुस्पष्ट संभाव्यता थी, जिसके बारे में उसे स्पष्ट रूप से भान था कि अपीलार्थी के वचन के बावजूद भी हो सकता है यह विवाह न हो । प्रश्न यह उठता है कि यदि ऐसी बात थी तो क्या अपीलार्थी जानता था, या विश्वास करने का कारण था कि अभियोक्त्री ने उसके साथ मैथुन करने की सम्मति उसके इस वचन के आधार पर अपने इस विश्वास के परिणामस्वरूप दी है कि वे यथासमय पर विवाह करेंगे । इस तथ्य को साबित करने के लिए मुश्किल से कोई साक्ष्य है । इसके विपरीत, मामले की परिस्थितियां इस निष्कर्ष का समर्थन करने वाली हैं कि अपीलार्थी के पास यह विश्वास करने का कारण था कि अभियोक्त्री द्वारा दी गई सम्मति एक-दूसरे के लिए उनके गहरे प्यार का परिणाम है । यह विवादग्रस्त नहीं है कि उनका गहरा प्यार था । वे अक्सर मिलते-जुलते रहते थे और यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री ने उसे वे स्वतंत्रताएं दी थीं, जो केवल ऐसे व्यक्ति को ही दी जाती हैं, जिसके साथ उसका गहरा प्यार हो । यह भी महत्वहीन बात नहीं है कि अभियोक्त्री चोरी-चुपके अपीलार्थी के साथ रात्रि में 12.00 बजे एकांत स्थान पर गई थी । ऐसा प्राय: ऐसे मामलों में होता है जब दो युवा व्यक्ति प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे अनेक बार एक-दूसरे से यह वचन देते हैं कि जो भी हो वे विवाह करेंगे........।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

18. उपरोक्त मामलों से जो विधिक स्थिति प्रकट होती है, उसका सारांश यह है कि धारा 375 की बाबत किसी स्त्री की "सम्मति" में प्रस्थापित कृत्य के प्रति सक्रिय और सकारण विचार-विमर्श अंतर्वलित होना चाहिए । यह सिद्ध करने के लिए कि क्या "सम्मति" विवाह करने के वचन से उद्भूत "तथ्य के भ्रम" द्वारा दूषित थी या नहीं, दोनों प्रतिपादनाओं को अवश्य सिद्ध किया जाना चाहिए । विवाह करने का

वचन अवश्य एक मिथ्या वचन होना चाहिए जो असद्भाव और जिस समय यह वचन दिया गया था, उसी समय इसको पूरा न करने के आशय के साथ दिया गया होना चाहिए । मिथ्या वचन की लैंगिक कृत्य में लिप्त होने के स्त्री के विनिश्चय से अव्यवहित सुसंगतता होनी चाहिए या प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए ।

19. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से यह उपदर्शित होता है कि शिकायतकर्ता ने नवंबर, 2009 में आरंभ में तो अभियुक्त के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया था, किंतु विवाह करने के वचन पर अभियुक्त ने लैंगिक संबंध स्थापित किए । तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कई अन्य अभिकथनों का भी उल्लेख है जो वर्तमान प्रयोजन के लिए सुसंगत हैं । वे अभिकथन निम्न प्रकार से हैं :–

(i) शिकायतकर्ता और अपीलार्थी एक-दूसरे को वर्ष 1988 से जानते थे और वर्ष 2004 से घनिष्ट मित्र थे ।

(ii) शिकायतकर्ता और अपीलार्थी नियमित रूप से मिलते थे, एक-दूसरे से मिलने के लिए लंबी दूरी की यात्राएं करते थे, बहुत बार एक-दूसरे के मकानों में रहते थे, पांच वर्षों तक नियमित रूप से मैथुन में लिप्त रहे और बहुत बार यह जांच कराने के लिए संयुक्त रूप से अस्पताल गए कि शिकायतकर्ता गर्भवती तो नहीं है; और

(iii) अपीलार्थी ने 31 जनवरी, 2014 को शिकायतकर्ता के साथ विवाह करने के बारे में अपनी मजबूरी व्यक्त की । इसके बावजूद, अपीलार्थी और शिकायतकर्ता ने मार्च, 2015 तक मैथुन में लिप्त रहना जारी रखा ।

अपीलार्थी सी. आर. पी. एफ. में कमांडेंट है जबकि शिकायतकर्ता सहायक विक्रय कर आयुक्त है ।

20. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों को देखने से यह उपदर्शित नहीं होता है कि अपीलार्थी द्वारा दिया गया वचन मिथ्या था, या शिकायतकर्ता के इस वचन के आधार पर लैंगिक संबंध बनाए थे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि जब अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से विवाह करने का वचन दिया था, तब यह

असद्भावपूर्वक या उसके साथ धोखा करने के आशय से दिया गया था । अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2008 में दिए गए अपने वचन को वर्ष 2016 में पूर्ण करने में असफल रहने का यह अर्थ नहीं लाया जा सकता है कि वचन ही मिथ्या था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से यह उपदर्शित होता है कि शिकायतकर्ता को वर्ष 2008 से यह ज्ञात था कि अपीलार्थी से विवाह करने में बाधाएं आ रही हैं और उसने और अपीलार्थी ने उनके विवाह करने का मामला एक विवादित मामला बन जाने के पश्चात् भी लंबे समय तक लैंगिक संबंध बनाना जारी रखा । इसके पश्चात् भी, शिकायतकर्ता अपीलार्थी की तैनाती के स्थानों पर यात्रा करके गई और उसके साथ रही और अपीलार्थी को अपने सप्ताहांत अपने निवास पर बिताने के लिए अनुज्ञात किया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से यह पक्षकथन झूठा साबित होता है कि अपीलार्थी द्वारा विवाह का वचन देकर उसे धोखा दिया गया था । अतः यदि शिकायतकर्ता के कथनों में उपवर्णित तथ्यों को समग्र रूप में स्वीकार भी किया जाता है, तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन कोई अपराध घटित नहीं हुआ था ।

21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की बाबत अपराधों के संबंध में यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा तारीख 27 और 28 अगस्त, 2015 और 22 अक्तूबर, 2015 को शिकायतकर्ता को व्हाट्सऐप संदेश भेजे गए थे । इस समय पर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) (प), (ब) और धारा 3(2) (vii), जैसी कि वे आज हैं, कानून में अधिनियमित नहीं की गई थीं । ये उपबंध संशोधन अधिनियम, 2015 (अत्याचार निवारण) द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे जो कि तारीख 26 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुआ था । संशोधनकारी अधिनियम से पूर्व, कानून के सुसंगत उपबंध (जो उस समय थे) निम्नलिखित थे :–

> "3. (1) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है –
>
> (x) जनता के दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय

से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा ;

(xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा;

(xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत न होती, करेगा; ....।"

22. अपीलार्थी द्वारा भेजे गए व्हाट्सऐप संदेशों और अभिकथित रूप से कहे गए शब्दों की अंतर्वस्तु का विस्तृत विश्लेषण किए बिना, यह स्पष्ट है कि ऊपर उपवर्णित अपराधों में से कोई अपराध नहीं बनता है । संदेश जनता को दृष्टिगोचर नहीं थे, कोई हमला नहीं हुआ था, न ही अपीलार्थी ऐसी स्थिति में था जिससे वह शिकायतकर्ता की इच्छा को अधिशासित कर सके । अत: यदि शिकायतकर्ता द्वारा व्हाट्सऐप संदेशों और कहे गए शब्दों की बाबत शिकायतकर्ता द्वारा उपवर्णित अभिकथनों को उनके प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार भी किया जाता है, तो भी अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम (जैसा वह उस समय था) के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है । इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों को देखने से अभिकथित अपराधों का किया जाना सिद्ध नहीं होता है ।

23. उपरोक्त कारणों से, हम यह अपील मंजूर करते हैं और उच्च न्यायालय का तारीख 7 फरवरी, 2019 का निर्णय और आदेश अपास्त करते हैं । तारीख 17 मई, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.